रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 7, 2013/वैशाख 17, 1935
No. 220] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 7, 2013/VAISAKHA 17, 1935

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2013

सा.का.नि. 290 (अ).- राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 (2003 का 39) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध नियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में,

(i) उप-नियम (1) में:-

(क) "2009" अंक के स्थान पर **"2015"** अंक रखा जाएगा;

(ख) "0.5" अंक के स्थान पर **"0.6"** अंक रखा जाएगा;

(ग) "2004-2005" अंकों के स्थान पर "**2013-2014**" अंक रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (2) में:-

(क) "0.3" अंक के स्थान पर "**0.5**" अंक रखा जाएगा;

(ख) "2004-2005" अंकों के स्थान पर "**2013-2014**" अंक रखे जाएंगे;

(ग) "2009" अंक के स्थान पर "**2017**" अंक रखा जाएगा;

(iii) उप-नियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा; अर्थात:-

(5) **खंड-4 के उप-खंड (1) में दिए गए अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा के लक्ष्य को 31 मार्च, 2015 तक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ऐसे घाटे को ऐसी राशि से कम करेगी जो वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के 0.8 प्रतिशत या अधिक के समतुल्य हो।**

3. उक्त नियमों के नियम 5 में, उप-नियम (1) के खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"(i क) सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रभावी राजस्व घाटा";

4. उक्त नियमों के नियम 6 में उप-नियम (1) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:

"(घ) सुनिश्चित समाश्रित दायित्वों का विवरण, जो प्ररूप घ-5 में बहुवर्षीय समयावधि में नियत वार्षिकी अति संदाय के रूप में हैं।

(ड.) प्ररूप घ-6 में पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के अवशिष्ट ब्यौरे उपलब्ध कराने वाला विवरण।

5. उक्त नियमों के नियम 7 में ----------

(1) "2004-2005" अंक के स्थान पर "**2012-13**" अंक रखे जाएंगे।

(2) उप नियम (ii) में "पैंतालीस प्रतिशत शब्दों" के स्थान पर "**60**" प्रतिशत अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(3) उप नियम (iii) में 'पैंतालीस प्रतिशत शब्दों" के स्थान पर "**60**" प्रतिशत अंक और शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के प्ररूप च 1 में शीर्षक "क वित्त संकेतक-चल लक्ष्य के अंतर्गत" की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:

	चालू वर्ष संशोधित प्राक्कलन वर्ष-1	आगामी वर्ष लक्ष्य: बजट प्राक्कलन वर्ष	अगले दो वर्ष के लिए लक्ष्य	
			वर्ष+1	वर्ष +2
1. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा				
2. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रभावी राजस्व घाटा				
3. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज वित्तीय घाटा				
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व				
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया दायित्व				

8. उक्त नियमों के प्ररूप च-2 में ड.: "आगामी वर्ष के लिए लक्ष्य" पैराग्राफ में " राज वित्तीय घाटा उस वर्ष के बजट प्राक्कलनों के 45 प्रतिशत से अधिक है; या राजस्व घाटा उस वर्ष के बजट प्राक्कलनों के 45 प्रतिशत से अधिक है" **शब्दों और अंकों के स्थान पर राजवित्तीय घाटा उस वर्ष के बजट प्राक्कलनों के 60 प्रतिशत से अधिक है, या राजस्व घाटा उस वर्ष के बजट प्राक्कलनों के 60 प्रतिशत से अधिक है'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।**

9. उक्त नियमों के प्ररूप घ-4 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्

''प्ररूप घ-5

(नियम-6 देखें)

वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी दायित्व

मंत्रालय/विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	कुल सुपुर्द किए गए वार्षिकी	अवधि	वार्षिकी संदाय (प्रतिवर्ष)
		(करोड़ रुपए)	(करोड़ रुपए)	(वर्ष)	(करोड़ रुपए)

प्ररूप घ-6

(नियम-6 देखें)

पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान

मंत्रालय/विभाग स्कीम	पूर्व वर्ष का वास्तविक वर्ष-1	चालू वर्ष के बजट प्राक्कलन वर्ष	चालू वर्ष के पुनरीक्षित प्राक्कलन वर्ष	सुनिश्चित वर्ष के बजट प्राक्कलन वर्ष+1
				"

[फा. सं. 3(1)/2011-एफआरबीएम]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3, उप-खण्ड (I) , तारीख 2 जुलाई, 2004 को सा.का.नि. सं. 396 (अ) तारीख 2 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए और सा.का.नि. 670 (अ) तारीख 5 सितम्बर, 2012 द्वारा अंतिम संशोधन किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2013

G.S.R.290(E).— In exercise of the powers conferred by section 8 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (39 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Fiscal Responsibility and Budget Management Rules,2004, namely:-

1. *(1)* These rules may be called the Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2004 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3,

(i) in sub-rule (1), -

(a) for the figures, "2009", the figures, "**2015**" shall be substituted;

(b) for the figures, "0.5", the figures "**0.6**" shall be substituted;

(c) for the figures, "2004-2005", the figures "**2013-2014**" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2), -

(a) for the figures, "0.3", the figures "**0.5**" shall be substituted;

(b) for the figures, "2004-2005", the figures "**2013-2014**" shall be substituted;

(c) for the figures, "2009", the figures "**2017**" shall be substituted;

(iii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

(5) In order to achieve the target of effective revenue deficit as set out in sub-section (1) of section 4, by the 31st day of March, 2015, the Central Government shall reduce such deficit by an amount equivalent to 0.8 per cent. or more of the GDP at the end of each financial year, beginning with the financial year 2013-2014.

3. In the rule 5 of the said rules, in sub-rule (1), after clause (i), the following clause shall be inserted, namely :-

"(i a) effective revenue deficit as a percent of GDP";

4. In rule 6 of the said rules, in sub-rule (1), after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:-

***"(d)* a statement of explicit contingent liabilities, which are in the form of stipulated annuity payments over a multi-year time-frame in Form D-5,**

***(e)* a statement providing the detailed breakup of grants for creation of capital assets in Form D-6".**

5. In the rule 7 of the said rules, -------

(1) for the figures "2004-2005", the figures "**2012-2013**" shall be substituted;

(2) in sub-rule (ii), for figures, "45", the figures "**60**" shall be substituted.

(3) in sub-rule (iii), for figures, "45", the figures "**60**" shall be substituted.

6. In the Form F1 of the said rules, for the table under the heading "A.

Fiscal Indicators – Rolling Targets" the following table shall be substituted, namely :-

	Current Year Revised Estimates Y-1	Ensuing year Target : Budget Estimates Y	Targets for the next two years	
			Y+1	Y+2
1. Revenue Deficit as percentage of GDP				
2. Effective Revenue Deficit as percentage of GDP				
3. Fiscal Deficit as percentage of GDP				
4. Tax Revenue as percentage of GDP				
5. Total outstanding liabilities as percentage of GDP				

8. In the Form F-2 of the said rules, in paragraph "E-Targets for the ensuing year", for the words and figures "the fiscal deficit is higher than 45 per cent. of the Budget Estimates for that year; *or* the revenue deficit is higher than 45 per cent. of the Budget Estimates for that year", the words and figures "**the fiscal deficit is higher than 60 per cent. of the Budget Estimates for that year; *or* the revenue deficit is higher than 60 per cent. of the Budget Estimates for that year**" shall be substituted.

9. After the Form D-4 of the said rules, the following Forms shall be inserted, namely :-

"Form.D-5
[See rule 6]
LAIBILITY ON ANNUITY PROJECTS

Ministry/ Department	*Name of the Project*	*Value of the Project*	*Total Annuity Committed*	*Term*	*Annuity Payment (per year)*
		(Rs. crore)	*(Rs. crore)*	*(Years)*	*(Rs. crore)*

Form.D-6
[See rule 6]
GRANTS FOR CREATION OF CAPITAL ASSETS

Ministry/Department Scheme	Previous Year's Actuals Y-1	Current Year's Budget Estimates Y	Current Year's Revised Estimates Y	Ensuing Year's Budget Estimates Y+1
				".

[F. No. 3(1)/2011-FRBM]
RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note: The principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 2nd July,2004 vide number G.S.R. 396 (b), dated 2nd July,2004 and were last amended vide number G.S.R. 670 (E), dated 5th September, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-11005